Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

भारत में मानवाधिकार की स्थिति और संरक्षण के तन्त्र

मनोज कुमार वर्मा *

मनुष्य के लिये जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान अपरिहार्य है वहीं उसके साथ कतिपय ऐसी अन्य चीजें हैं जो आधुनिक मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है इनमें मानवाधिकार भी शामिल है। मोटे तौर पर मानवाधिकार को हम वे अधिकार कह सकते हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। संक्षेप में, वे अधिकार जो मानव को 'भय' और 'भूख' से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक हैं, मानवाधिकार कहे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य बिना किसी भेदभाव के उपभोग करने के लिए हकदार है। मानव अधिकार अपने आप में मान्य हैं, ये किसी राष्ट्र के कानून से ऊपर हैं, इनका उल्लंघन मानवता के विरूद्ध अपराध माना जाता है। इन अधिकारों की एक विस्तृत सूची मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। भारत ने भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है।

भारत में मानव अधिकार की स्थिति

वर्तमान में भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जहाँ मानवाधिकरों के उल्लंघन की घटनाएं बहुतायत होती रहती हैं। इस मुद्दे पर विश्व पटल पर भारत की अक्सर आलोचना होती रही है। भारत में आज भी एक चौथाई से अधिक आबादी निरक्षर है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का गंभीर अभाव है। निर्धनता तथा आय के संबंध में स्थिति यह कि विश्व के एक तिहाई निर्धन व्यक्ति भारत में रहते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है 16 वर्ष से कम आयु के करीब एक तिहाई बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम करते है– संकटापन्न उद्योगों में लगे हुए हैं। भारत की यह भयावह तस्वीर यह साफ संकेत देती है कि यहाँ मानवाधिकारों का कितना सम्मान है। स्पष्ट है कि भारत की सरकारें मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं। हिरासत में हिंसा मानवीय गरिमा पर जानबूझकर किया गया हमला है और वर्ष 1998–99 में पुलिस हिरासत में 183 तथा न्यायिक हिरासत में 1114 मौते होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

भारत में पुलिस की हिरासत में लोगों के साथ जो आमानवीय व्यवहार किया जाता है, वह मानव अधिकारों के समर्थकों के लिए विशेष चिंता का विषय है। 1980 में भागलपुर (बिहार) की जेल में तीस–बत्तीस विचाराधीन कैदियों की आँखे फोड़ दी गई थी। 1994 में पंजाब पुलिस ने कुछ आदिवासी स्त्रियों के माथे पर 'जेबकुतरी' गुदवा दिया था। न्यायालयों के द्वारा ऐसे कृत्य मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन माने गए। उनकी विस्तृत निंदा की गई और उनकी क्षतिपूर्ति के आदेश दिए गए। भारत में जब तथाकथित अपराधी पुलिस मुठभेड़ (Police Encounter) में मारे जाते हैं तब लोगों को संदेह होने लगता है कि कहीं यह कानूनी प्रक्रिया को धोखा देने का तरीका तो नहीं है जैसे गुजरात का सोहराबुद्दीन शेख और इशरत जहाँ का मामला मानवाधिकारों की दृष्टि से सवालों के घेरे में आता है।

भारतीय जेलों में भीड़ ज्यादातर विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या की वजह से होती है जो मानव गरिमा को अत्यधिक विसंगतिपूर्ण बनाती रही है। विभिन्न बंदीगृहों में बन्द कैदियों में अनुमानतः 200000 विचाराधीन कैदी हैं। इनका प्रतिशत कुल कैदियों 70 प्रतिशत से अधिक बैठता है। विचाराधीन

* **असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सन्त गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ**

कैदियों में अधिक संख्या समाज के गरीब वर्ग के लोगों की है जो गाँवों से सम्बन्धित हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों द्वारा मेरठ जेल का दौरा किए जाने पर वहाँ 3000 लोग जेल में बंद पाये गये जबकि उस जेल की घोषित क्षमता 650 व्यक्तियों के रखे जाने की है। संविधान के अनुच्छेद 23,24, 39 (द) और 41, 45 तथा 43 के होते हुए एवं संसद द्वारा अनेक अधिनियम पारित किए जाने के बाद बालश्रम की समस्या बनी हुई है।

हाथ से मैले की सफाई मानव गरिमा के प्रति घोर आपराधिक तरीका है और स्वाधीनता के 69 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस अपमानजनक प्रचलन को जिसमें हाथ से मैला साफ किया जाता है, हमारे देश में अभी तक जारी रखा गया है। हजारों वर्षों से भारत में दलितों के एक समुदाय 'मेहतर' द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा रही है। वे हाथ से मल–मूत्र निकालते हैं, उन्हें बाल्टी आदि डाल कर सिर पर ढोते हुये बाहर गंदे नाले आदि में फेकते हैं। उन्हें 'भंगी' जैसे अमानवीय सम्बोधन से सम्बोधित किया जाता है। उनके साथ उच्च तथा मध्यम जातियों के साथ–साथ अन्य दलित जातियों द्वारा अमानवीय एवं घृणित व्यवहार किया जाता है।

भारत में वर्ण–जाति के आधार पर छुआछूत अभी भी, खासकर गांवों में, प्रचलित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित देश के सभी हिस्सों से दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनायें प्रकाश में आती रहती हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत दलित रसोइयों द्वारा तैयार भोजन का उच्च तथा मध्यम जाति के बच्चों द्वारा बहिष्कार करने की घटनायें अत्यन्त शर्मनाक कहीं जायेंगी। वैसे यह बात भी सही है कि अधिकतर होटलों, चाय की दुकानों में दलित मजदूर काम करते हैं और उनमें सेवा लेने वाले उच्च जातियों या मध्यम जातियों के लोग आपत्ति नहीं करते।

भारत में दलित महिलाओं का यौन–शोषण लम्बे समय से हो रहा है। पहले सामन्त लोग उन्हें अपनी रखैल बनाकर रखते थे और उनसे सारा काम–काज भी करवाते थे। अब ऐसा बड़े पैमाने पर प्रचलित नहीं है, मगर छिटपुट ऐसी बातें प्रकाश में आती हैं। इसके अलावा दलित महिलाओं के बलात्कार प्रायः उच्च तथा मध्यम जातियों के पुरूषों द्वारा होते रहते हैं। यह भारतीय समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि दिन के उजाले में छुआछूत बरतने वाले उच्च एवं मध्यम जातियों के लोग रात के अन्धेरे में दलित महिलाओं का यौन शोषण करते हैं।

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी प्रावधान –

अगर बात भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण की आती है तो वहाँ यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि भारत संविधान में विभिन्न अनुच्छेद और उनके माध्यम से की गयी घोषणायें सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा से बहुत अधिक साम्य रखती हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनु0 14 के अन्तर्गत प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनु0 21 द्वारा प्रत्याभूत है। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण (अनु0–20), अंतःकरण की स्वतंत्रता (अनु0–25), धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनु0–26), शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु0–23) बालश्रम का निषेध (अनु0–24), आदि प्रावधान संयुक्त राष्ट मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के विभन्न अनुच्छेदों से साम्य रखते हैं।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों में मानवाधिकारों के संरक्षण के अतिरिक्त भारत में कुछ संविधानेतर प्रावधान हैं जो मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदार हैं– भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण व समृद्धि के लिए अक्टूबर 1983 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है।

आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और उचित कार्यवाही की सिफारिश करता है। यह मानवाधिकार के मामलों का अध्ययन करता है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करवाता है तथा लोगों को मानवाधिकारों की जानकारी देकर जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दण्ड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता, जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग की सिफारिशें संबन्धित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं परन्तु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को एक महीने के भीतर सूचित करना होता है। इस संदर्भ में आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य न्यायमूर्ति बी0एस0 मलिमथ के अनुसार सरकार आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः नहीं नकारती।

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये जिस तरह केन्द्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था है उसी प्रकार राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रवधान किया गया है ताकि मानवाधिकारों का अधिक से अधिक संरक्षण किया जा सके। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के लिए वह व्यक्ति पात्र होता है जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिय कार्य करता है। इस आयोग का कार्य भी विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का होता है, बाध्यकारी नहीं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 38 में यह भी प्रावधान है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है या किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है, जिसे कम से कम सात वर्ष की वकालत का अनुभव प्राप्त हो।

स्त्रियों के ऊपर अत्याचार या अन्य संबंधित मामलों पर उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्त्री संरक्षण आयोग अधिनियम 1990 के तहत अलग से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में भारतीय संसद में अधिनियम पारित करके की गई जो अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा दो संवैधानिक निकायों–राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये किया गया है।

निष्कर्ष

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के अनेक प्रावधानों के कारण देश में मानव अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ी है और उल्लंघन के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। वास्तव में, भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या उतनी गंभीर नहीं है, जितना दुनिया भर में प्रचारित किया जाता रहा है। कभी–कभी मानव अधिकारों की आड़ में घोर अपराधियों और आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जाती है और उन लोगों के मानवाधिकारों की बात भुला दी जाती है, जिन्हें इन तत्वों के अमानवीय कृत्यों के कारण अपार कष्ट झेलना पड़ता है। मानवाधिकार के मामलों में वस्तुस्थिति के विश्लेषण में विशेष सावधनी बरतनी चाहिए। इस मामले में निष्पक्ष छान–बीन होनी चाहिए, पत्र–पत्रिकाओं के संवाददाताओं या निहित स्वार्थों के प्रतिनिधियों की बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन के अतिरंजित मामलों को अगर छोड़ भी दिया जाये तो भी भारत में मानवाधिकारों

की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के तमाम प्रावधान अपर्याप्त साबित हुये हैं।

सन्दर्भ :

1. न्यायमूर्ति बी0एस0 मलिमथ, 'मानवाधिकार आयोग की भूमिका', ह्युमन राइट्स इन इण्डिया, प्रोब्लम्स एण्ड पर्सपेक्टिव, बी0पी0 सिंह सहगल (ई0डी0), दीप पब्लिकेशन, 1995, पृष्ठ – 17–20।
2. गाबा, ओमप्रकाश, राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 2005, पृष्ठ–334–341।
3. त्रिपाठी, टी0पी0, मानव अधिकार, इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशनस, इलाहाबाद, 2015 पृष्ठ– 278–289।
4. न्यायमूर्ति, शिवराज वी पाटिल, कामन मैन एण्ड दी कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, ए0आई0आर0, 2005, जनरल सेक्शन, पृष्ठ–1।
5. फड़िया, बी0एल0, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिः सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2008, पृष्ठ–533।
6. लक्ष्मीकान्त, एम0, भारत की राज्यव्यवस्था, मैकग्राहिल, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ– 50–51।
7. शर्मा, सुभाष, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ–175–176।